फा. सं. 2/6/2016-स्था.(वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 17 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति के लिए शामिल मामलों में मंत्रालयों/विभागों/आदाता संगठनों को 7 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन के संबंध में।

इस विभाग का दिनांक 17 जून, 2010 का कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, विश्व विद्यालयों/संघ शासित प्रशासन, स्थानीय निकायों इत्यादि में और उक्त निकायों से केंद्र सरकार के अधीन संवर्ग बाह्य पदों के लिए वेतन, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि और अन्य निबंधन और शर्तों को विनियमित करता है (प्रति संलग्न)। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में दी गई इसकी प्रयोजनीयता के अधीन इन अनुदेशों में प्रतिनियुक्ति/संवर्ग बाह्य सेवा के वे मामले शामिल होते हैं जहां केंद्र सरकार उधारदाता प्राधिकरण या आदाता प्राधिकरण या दोनों प्रकार का प्राधिकरण होता है। इसमें एक बार में अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8.3.1 (iii) के अनुसार पांच वर्ष के पश्चात आगे विस्तार देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. विभिन्न प्रशासानिक मंत्रालय/विभाग/आदाता संगठन इस विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 10 के प्रावधानों को उद्घृत करते हुए तात्कालिक आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए मामला दर मामला आधार पर 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि की शर्त में छूट देने के लिए इस विभाग से संपर्क करते रहे हैं।

3. यह निर्णय लिया गया है कि यदि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और आदाता संगठन किसी अधिकारी को 5 वर्ष से अधिक समय के लिए रखना चाहते हैं तो वे दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) द्वारा प्रावधान की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि को, जहां जनहित में नितांत आवश्यक हो, एक बार में अधिकतम 7 वर्ष तक का विस्तार दे सकते हैं। इस प्रकार

--/-

का विस्तार संबंधित आदाता मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से और अन्य संगठनों के मामले में उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग जिससे वे प्रशासनिक तौर पर जुड़े हैं, के मंत्री के अनुमोदन से, अन्य सभी तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे संबंधित अधिकारी की इच्छा और उसकी सतर्कता निकासी, आदाता प्राधिकरण का बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तथा जहां कहीं लागू हो, यूपीएससी/एसीसी का अनुमोदन प्राप्त होने पर दिया जाएगा।

4. दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन-II) द्वारा जारी अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तनीय रहेंगी।

5. ऐसे मामलों में जहां प्रतिनियुक्ति की अवधि की आवश्यकता 7 वर्ष से अधिक समय के लिए महसूस की जाती है, उस स्थिति में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/उधार लेने वाले संगठन, तदनुसार ऐसे प्रतिनियुक्ति पद के संगत भर्ती नियमों में, अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करके, संशोधन कर सकते हैं। जब तक प्रतिनियुक्ति पद के संगत भर्ती नियमों में प्रावधान न किया गया हो, 7 वर्ष से अधिक के लिए प्रतिनियुक्ति विस्तार की अनुमति नहीं होगी। यह बात दोहरायी जाती है कि पांच वर्ष से अधिक के लिए सेवा विस्तार के मामले को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास नहीं भेजा जाएगा।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है ऐसे मामलों सहित जिनमें केंद्र सरकार न तो उधार देने वाला न उधार लेने वाला प्राधिकरण है, ऐसे मामले जो दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन के दायरे में नहीं आते हैं, के संबंध में उनको अभिशासित करने वाले संगत उपबंधों/नियमों/अनुदेशों इत्यादि के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

7. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

अशोक कुमार जैन

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव (वेतन)
दूरभाष :- 011-23094542

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

<u>प्रति एनआईसी:-</u>

इस कार्यालय ज्ञापन की प्रति विभाग की वेबसाइट 'नया क्या है' और 'स्थापना' उप शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' पर अपलोड करने के लिए